न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट बनाम रेसपोडेंट

मैसर्स कोगनोटा सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. जयपुर। — उप निदेशक आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर।

निर्णय

दिनांक 5.5.26

प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर नागौर द्वारा नागौर जिले में जनगणना कार्य हेतु तकनीकी सहायक व एमटीएस लगाने के लिए ई निविदा सूचना संख्या 01/2026–27 आमंत्रित की गई थी। जिसमें ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने की दिनांक व समय 24.04.2026 को 11.00 ए.एम. तक थी। तकनीकी बोली खोलने की दिनांक 24.04.2026 को 01.00 पी.एम. थी। उपापन संस्था द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने वाले 04 बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां खोलकर तकनीकी परीक्षण करने पर उपापन समिति द्वारा 02 बोलियों को तकनीकी मापदण्डों को पूरा नहीं करने से असफल घोषित किया गया। 02 बोलीदाताओं द्वारा ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं करवाने से इनकी बोलियों को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया गया।

कोगनोटा सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा इनकी बोली को उपापन समिति द्वारा ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में दिनांक 24.04.2026 को 11.00 ए.एम. तक प्रस्तुत नहीं करने से चालान व मूल स्टाम्प पेपर के अभाव में तकनीकी बोली को असफल घोषित करने के विरूद्व अपील दायर की। इस अपील के सन्दर्भ में उपापन समिति से जबाब मांगा गया।

उपापन समिति द्वारा प्रस्तुत जबाब व बोली प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। जिसमें टेण्डर नोटिस में शर्त थी कि ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में दिनांक 24.04.2026 को 11.00 ए.एम. तक जमा करवाया जाना है। टेण्डर नोटिस की शर्ते व बिड डॉक्यूमेंट की शर्ते बोलीदाता पर लागू होती है। अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि बिड डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने का उल्लेख नहीं है। टेण्डर नोटिस की शर्त बिड डॉक्यूमेंट पर भी लागू होती है। अपीलार्थी द्वारा ई–बोली दस्तावेज/आवश्यक दस्तावेज नियत समय तक कार्यालय में जमा नहीं करवाए जाने से उपापन संस्था द्वारा मूल स्टांप पेपर व चालान की प्रति के अभाव में बोली को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.5.26 को सुनाया गया।

05/5/26

(चम्पालाल जीनगर)
प्रथम अपील अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

अति. कलक्टर, नागौर